


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रायपुर, पाली के पत्रांक समसा/रायपुर/संस्था/2020/995 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा प्रेषित श्री लव भटनागर व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि कालब कलां, रायपुर, पाली के अवकाश प्रकरण को राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफ डी (रुल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11.06.2014 वित्त विभाग के ज्ञापन No. F. 1(2)FD/Rules/2006-1 Jaipur, dated: 08/08/2019, 25/10/2019 की अनुपालना में प्रोबेशनरी-ट्रेनी श्री लव भटनागर व्या. राज. विज्ञान राउमावि कालब कलां, रायपुर, पाली द्वारा परिवीक्षाकाल में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	21.11.2017	01 दिन
	28.11.2017	01 दिन
	07.12.2017 से 08.12.2017	02 दिन
	23.01.2018 से 27.01.2018	05 दिन
	30.01.2018 से 09.02.2018	11 दिन
	05.03.2018	01 दिन
	20.03.2018 से 22.03.2018	03 दिन
	27.03.2018	01 दिन
	09.04.2018 से 10.04.2018	02 दिन
	18.09.2018	01 दिन
	19.11.2018	01 दिन
	22.11.2018	01 दिन
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	30

उक्त कार्मिक द्वारा कुल 117 दिवस का असाधारण अवकाश का उपभोग किया है इसमें से 30 दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृत कर शेष 87 दिवस का अवैतनिक अवकाश प्रशासनिक विभाग द्वारा शासन स्तर पर स्वीकृत किया जावेगा। इनके प्रोबेशन ट्रेनी अवधि वृद्धि बढ़ाए जाने संबंधित आदेश व स्थाईकरण आदेश शासन स्वीकृति उपरान्त अलग से जारी किये जायेंगे।


(सौरभ स्वामी)


आई.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/अवकाश/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक: 21 / 08 / 2020

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर